न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील /14/2015

1–मगन चौधरी पुत्र बलदेव । जाति जाट निवासी कन्जौली
2–उदयवीर सिंह (मृतक) । तहसील व जिला भरतपुर
2/1–संजना पत्नी उदयवीरसिंह।

.....अपीलान्ट

बनाम

1–सामन्ता पुत्र रामभरोसी । जाति बघेल निवासी मौहम्मदपुर तहसील व
2–मांगेलाल पुत्र निनुआ । जिला अगारा उ0प्र0

.....रेस्पो0

अपील खिलाफ आदेश नामान्तकरण संख्या 385 तहसीलदार भरतपुर दिनांक 26.12.2014 बाके ग्रांम कन्जौली तहसील भरतपुर

उपस्थित :–
1–श्री गंगाराम शर्मा, अभिभाषक अपीलान्ट,
2–श्री सोनीराम शर्मा अभिभाषक रेस्पो.

निर्णय

दिनांक 21.06.2024

अपीलान्ट ने यह अपील विरुद्व रेस्पो0 व खिलाफ आदेश नामान्तकरण संख्या 385 दिनांक 26.12.2014 ग्रांम कन्जौली तहसील भरतपुर पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 385 दिनांक 26.12.2014 जो कि रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 24.6.2009 के आधार पर खोला जाकर सामन्ता पुत्र रामभरोसी , मांगेलाल पुत्र निनुआ जाति बघेल के हक में स्वीकार किया गया है। उक्त आदेश नामान्तकरण से व्यथित होकर यह अपील अपीलान्टस ने दिनांक 13–5–2015 पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर तहत पत्रावली तलब की गई। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि अपीलाधीन नामान्तकरण स्वीकार करने से पूर्व तहत

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर

न्यायालय ने कोई नोटिस जारी नही किये हैं और ना हीं कोई सुनवाई का अवसर दिया गया है। तहत न्यायालय ने विवादित आराजी के कब्जे की बाबत कोई जॉच नहीं की है जो प्राकृतिक न्यायिक सिद्धान्तो के विपरीत है। नामान्तकरण पर तहसीलदार को आदेश पारित करने का कोई अधिकारी नहीं था, प्रथम नामान्तकरण ग्रांम पचांयत को अधिकार था यदि ग्रांम पंचायत 45 दिन में नामान्तकरण पर कोई कार्यवाही नहीं करती तब तहसीलदार को आदेश पारित करने का अधिकार था। तहसीलदार ने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर आदेश पारित किया है जो काबिल खारिज के रहता है। योग्य अभिभाषक का तर्क है अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण की जानकारी पटवारी हल्का से दिनांक 8.5.2015 को हुई है और उसी दिन आदेश की नकल लेने का आवेदन पेश किया है नकल वगे. लेकर जानकारी की दिनांक से अपील अन्दर म्याद पेश की गई जिसके म्याद अधिनियम धारा –5 का प्रार्थना पत्र संलग्न किया है। योग्य अभिभाषक का यह भी कहना है कि विवादित आराजी अपीलान्ट की पैत्रिक आराजी है जिस पर अपीलांट का कब्जा काश्त है तथा मनबट से आराजी विवादित अपीलांट के हिस्से मे आयी है जिसके विक्रय करने का कोई अधिकार रेस्पो संख्या 3 और नही रेस्पो संख्या 1व2 को है। विवादित आराजी का कब्जा भौतिक रुप से मौका पर नहीं दिया गया है। गलत रुप से रेस्पो बल्देव ने कर्ता खानदान होने के कारण आराजी मुतनाजा पर अपने नाम राजस्व कर्मचारीयो से साज कर अपीलांट के हिस्से पर खातेदारी दर्ज कराली है। जिसको निरस्त करने के लिये सक्षम न्यायालय में वाद विचाराधीन है जिसमें स्थगन आदेश निकला हुआ है स्थगन आदेश के होते नामान्तकरण दर्ज किया गया जो गलत है। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने तर्को के समर्थन में आर.आर.डी. 1993 पेज 774 उद्यरत करते हुये अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाने की प्रार्थना की गई।

योग्य अभिभाषक रेस्पो ने अपने तर्कों में जाहिर किया कि अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 385 बयनामा के आधार पर खोला जाकर स्वीकार किया गया है, तहसीलदार ने कोई गलती नहीं की है। अपील म्याद बाहर पेश की गई है। म्याद प्रार्थना पत्र में गलत तथ्य अंकित किये हैं। अपील म्याद बाहर होने से भी काबिल खारिज के रहती है। योग्य अभिभाषक का यह भी तर्क है कि रजिस्टर्ड बैयनामा के आधार पर दर्ज किये जाने वाले नामान्तकरण पर मौका जांच की कोई आवश्यकता नहीं रहती है और नाहीं नोटिस देने की। बैयनामा रजिस्टर्ड और आज भी अस्तित्व में है। योग्य अभिभाषक रेस्पो ने अपने कथनों के समर्थन में डीएनजे 2019 एस.सी पेज 1067 उद्यरत किया तथा अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई।

.....3

जिला कलक्टर
भरतपुर

हमने पत्रावली का अध्ययन किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया। अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 385 दिनांक 26–12–2014 का अवलोकन किया। अपीलाधीन नामान्तकरण के अवलोकन से जाहिर आया कि यह नामान्तकरण रजिस्टर्ड बैयनामा तारीखी 6.9.09 के आधार पर क्रेता सामन्ता पुत्र रामभरोसी मांगेलाल पुत्र निनुआ जाति बघेल के हक में दर्ज किया जाकर स्वीकार किया गया है। रजिस्टर्ड बैयनामा के आधार पर पारित अपीलाधीन आदेश में कब्जा मोका जांच वगे0 की आवश्यकता नहीं होती है। अपीलान्ट का यह कहना कि विवादित आराजी को लेकर दावा विचाराधीन जिसमें स्थगन आदेश निकला हुआ है, अपीलान्ट के मौखिक कथनों के सिवाय ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है जिससे उसके मौखिक कथनों पुष्टि होती हो। बैयनामा आज अस्तित्व में ना हो ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेजी हमारे समक्ष पेश नहीं किया गया है। अपील म्याद बाहर पेश की गई, म्याद प्रार्थना पत्र धारा–5 के समर्थन में कथित पटवारी का शपथ पत्र भी पेश नही किया गया है, म्याद बाहर होने पर भी अपील काबिल खारिज के रहती है। तहसीलदार भरतपुर ने अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत पारित किया है जिसमें हम किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं समझते हैं। अस्तु अपील अपीलान्ट काबिल खारिज के रहती है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 21–06–2024 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर,
भरतपुर